

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल  
// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

क्रमांक: एफ 9-2/2010/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1963 में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

1. अनुसूची दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-


“अनुसूची-दो  
(नियम 9 देखिए)  
चोट उपादान तथा निवृत्ति वेतन

	निवृत्ति वेतन
उच्चतर ग्रेड पे बैंड	अधिकतम ₹ 5000 के अध्यक्षीन रहते हुए वेतन और ग्रेड वेतन का दो - तिहाई
निम्नतर ग्रेड पे बैंड	अधिकतम ₹ 3000 के अध्यक्षीन रहते हुए वेतन का एक - तिहाई

	उपादान
उच्चतर मान	8 माह का वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन)
निम्नतर मान	7 माह का वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन).”

2. अनुसूची - तीन में, टिप्पणी 2 का लोप किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
अनिरुद्ध मुकुर्जी  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh  
Finance Department  
Mantralaya, Bhopal

**NOTIFICATION**

Bhopal, dated 11-12-2015

No. F 9-2/2010/Rule/IV, In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Extradiinary Pensions) Rules, 1963, namely:-

**AMENDMENT**

In the said rules,-

1. for Schedule-II, the following Schedule shall be substituted, namely :-

**"Schedule-II  
(see rule-9)**

Gratuity on Injury and Retiral Pay

**Retiral Pay**


Higher Grade Pay Band	2/3rd of Pay and Grade Pay subject to a maximum of Rs. 5000/-
Lower Grade Pay Band	1/3rd of Pay subject to a maximum of Rs. 3000/-

**Gratuity**

Higher Grade Pay Band	8 months' Pay (Pay Bend +Grade Pay)
Lower Grade Pay Band	7 months' Pay (Pay Bend +Grade Pay)

2. In Schedule-III, Note 2 shall be deleted.

By order and in the name of  
Governor of Madhya Pradesh

  
(Aniruddhe Mukerjee)  
Secretary,

To Government of Madhya Pradesh  
Finance Department

प्रतिलिपि:-

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
8. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
11. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
18. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
19. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
20. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
21. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
23. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
25. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
26. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
27. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
28. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
29. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
30. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
31. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
32. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(उपेन्द्र शर्मा)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग